



कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

राजस्थान सरकार

पंजीयन प्रमाण-पत्र

ऋषभदेव द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 (1959 का 42) के अधीन सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग ऋषभदेव के कार्यालय में आज के दिन यथावत रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।

सार्वजनिक प्रन्यास का नाम “**आरंड एवं बोल्ड कॉर्पोरेशन**”
सार्वजनिक प्रन्यास के रजिस्टर में संख्या **१०२५३** द्वारा भौतिक बोल्ड प्रन्यास
प्रमाण पत्र **आरंड एवं बोल्ड कॉर्पोरेशन** को जारी किया गया।

मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक **०७ माह ११ सन् २००५** को दिया गया।

(झमेश्वरन्दु नीणा)

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

ऋषभ प्रेस, ऋषभदेव